

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

महाराष्ट्र की दलबदल राजनीति पहुंची विधानसभा

दोनों ही गुटों से सात याचिकाएं मिलीं, स्पीकर बोले- गुण-दोष पर गौर करके लूंगा फैसला

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने सोमवार को कहा कि उन्हें राज्य में पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक की नियुक्ति जैसे मुद्दों से संबंधित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार और अजित पवार दोनों गुटों से लगभग सात याचिकाएं मिली हैं। शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को एक पत्र भी सौंपा है जिसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए नौ बागी विधायकों को अयोग घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाओं पर बोलते हुए स्पीकर राहुल नावेंकर ने कहा कि मुझे दोनों पक्षों से अभ्यावेदन मिले हैं, लेकिन अभी उनका अध्ययन करना बाकी है।

नावेंकर ने कहा कि मुझे सभी याचिकाओं को सत्यापित करना होगा और उनकी सामग्री की जांच करनी होगी, जिसके बाद मैं कुछ भी कह सकूंगा। मुझे यह भी जांचना होगा कि याचिकाओं में किए गए दावे उचित हैं या नहीं। शरद पवार खेमे द्वारा दायर अयोग्यता याचिका के बारे में विशिष्ट सवाल पर, राहुल नावेंकर ने कहा, एक प्रक्रिया निर्धारित है। मैं उस याचिका की खबरों पर गौर करूंगा और जांच करूंगा कि वे प्रक्रियात्मक रूप से अनुपालन करते हैं या नहीं, फिर मैं इसका पालन करूंगा।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने शिवसेना के विभाजन पर



एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, शिवसेना विधायक भरत गोगावले को पार्टी के मुख्य सचेतक और एकनाथ शिंदे को विधानसभा में पार्टी के नेता के रूप में पहचानने के स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद स्पीकर कार्यालय ने सबसे पहले अजित पवार और शरद पवार खेमे के बीच एनसीपी के असली गुट की पहचान करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया पार्टी के संविधान के अनुरूप की जायेगी।

हमारा हिंदुत्व मुस्लिम विरोधी

नहीं: फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सत्तारूढ़ शिवसेना-भाजपा गठबंधन की हिंदुत्व की विचारधारा मुस्लिम विरोधी या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसकी विचारधारा तुष्टीकरण विरोधी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से नाता तोड़ने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे की आलोचना की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन से पहले एएनआई संपादक स्मिता प्रकाश के साथ एक साक्षात्कार में, फडणवीस ने कहा था, हमारे लिए हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व मुस्लिम विरोधी या किसी समुदाय विरोधी नहीं है। हमारा हिंदुत्व तुष्टीकरण विरोधी है।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी को खुश मत करो। सभी एक हैं और अल्पसंख्यकों को शिक्षा और व्यवसाय का अधिकार हो। उनके लिए एक सिस्टम लाएँ लेकिन वोट बैंक की राजनीति न करें। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू में कैंलेंडर प्रकाशित करना कोई छोटी बात नहीं है। जिसने भी शिव सेना को देखा है और जो भी इसके बारे में जानता है, उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है। यह परिवर्तन की तरह है।

प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को बताया अपना गुरु

मुंबई। अजित पवार के बड़े विद्रोह में शामिल हुए वरिष्ठ राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार को अपना गुरु बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि राकांपा पार्टी प्रमुख शरद पवार उनके गुरु हैं और वह आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका आशीर्वाद लेंगे। राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष पटेल इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह आज शरद पवार से मिलेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शरद पवार मेरे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल तेज हैं। अजित पवार ने शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल होना सही समझा और उपमुख्यमंत्री बने हैं। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने शरद पवार को धोखा दिया है, तो पटेल ने अपनी कार की खिड़की खोली और चले गए। वहीं, संबदादाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की इच्छा का वे आदर करें। उनका आशीर्वाद हम पर और पार्टी पर हमेशा बना रहे। रविवार को, शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के दिशानिर्देशों को त्यागने और गलत रास्ता अपनाने के लिए अपने करीबी सहयोगी प्रफुल्ल पटेल और पार्टी नेता सुनील तटकरे पर निशाना साधा।

नौकरी के बदले जमीन घोटेले में चार्जशीट दाखिल

लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी का भी नाम

पटना। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को नौकरी के बदले जमीन घोटेला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियों समेत कई अन्य लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटेले से संबंधित



मामले में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और कई अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।

सीबीआई ने अपने विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह के माध्यम से

अदालत को सूचित किया कि पहले से ही आरोप पत्र दायर होने के बावजूद मामले में एक नया आरोप पत्र दायर किया गया है क्योंकि कथित कृत्य एक अलग कार्यप्रणाली के साथ किया गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि लालू और तीन अन्य के खिलाफ मंजूरी का इंतजार है। आरोपपत्र दिल्ली की राउज एक्स्प्लेन कोर्ट में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई पहले से ही 12 जुलाई को होनी है। मई में इस मामले में सीबीआई ने कई राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल की विधायक

किरण देवी और राज्यसभा सदस्य प्रेम चंद गुप्ता से संबंधित नौ ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कदम उन अटकलों के बीच आया है कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में लौट सकते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवाजी तिवारी ने कहा कि जस्वी यादव ने तो खुद कहा था कि चार्जशीट में उनका नाम आएगा। अभी जिस तरह का माहौल है और भाजपा जैसी राजनीति कर रही है।



मुख्यमंत्री द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को सेनट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की रायपुर शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय सी.ए. विद्यार्थियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया।

समान नागरिक संहिता को संविधान में सरकार का कर्तव्य बताया गया: आरिफ मोहम्मद

नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर पीएम मोदी के जोर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हालांकि देर हो चुकी है लेकिन कभी नहीं से देर बेहतर है। वह जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसे (यूसीसी) संविधान में सरकार का कर्तव्य बताया गया है। लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय धर्मग्रंथ हमारा संविधान है तो फिर समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले भी लगातार समान नागरिक संहिता पर अपनी राय रखते नजर आए हैं। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिंदू कोड बिल को अब 7 दशक से ज्यादा समय हो गया है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि यह हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों पर समान रूप से लागू होता है। क्या वह उन सभी के बीच एकरूपता पैदा करने में सक्षम है?



पहली बार 65 हजार के पार बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई। शेयर बाजार में सोमवार को बंपर खरीदारी दिखी और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। सेंसेक्स 486.49 अंक यानी 0.75 फीसदी चढ़कर 65,205.05 अंक पर बंद हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है, जब सेंसेक्स ने 65 हजार का आंकड़ा पार कर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी भी रिकर्ड अंक पर बंद हुआ है। निफ्टी 133.50 अंक यानी 0.70 फीसदी बढ़कर 19,322.55 पर बंद हुआ। बाजार को रिकर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने में बड़ा योगदान हैवीवेट शेयरों में बड़ी खरीददारों की दिलचस्पी, मेटल सेक्टर के शेयरों का रहा। बुधवार के कारोबारी सत्र के पहले तीन सत्रों में निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ। मानसून की शुरूआत, एचडीएफसी बैंक और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के विलय पूरा करने की घोषणा व जून डेरिवेटिव श्रृंखला की समाप्ति से बाजार को इस रिकर्ड ऊंचाई पर पहुंचने में मदद मिली। अमेरिकी बाजार में हुई रैली से भी निवेशकों में सकारात्मक माहौल का भी बाजार को फायदा मिला। इसके चलते सभी सेक्टर हरे निशान पर रहे। साल के अंत तक निफ्टी 21,000 के स्तर को छू सकता है। इसी तरह सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक नोटिस के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को अगुवाई वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने मामले को उठाया और मामले को सुनवाई के लिए तैयार करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए। जम्मू-कश्मीर का 9% विशेष दर्जा छीने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए 20 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि निर्णय लेते समय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

रालोद के भाजपा से हाथ मिलाने का दावा गलत-जयंत

बागपत (उप्र)। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) प्रमुख जयंत चौधरी ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिलाने की अटकलों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे। चौधरी ने यहां एक कार्यक्रम से इतर संबदादाताओं से बातचीत में भाजपा से हाथ मिलाने की अटकलों और दावों को गलत बताया। चौधरी का रालोद समाजवादी पार्टी (सपा) का सहयोगी दल है और उसने वर्ष 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। चौधरी सीपा की मदद से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। चौधरी से पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद वह (चौधरी) भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उनके (अठवले और राजभर) कहने से क्या होता है। रालोद अध्यक्ष ने कहा कि 23 जून की बैठक के बाद विपक्षी दलों की अगले दौर की जो बातचीत होगी उसमें वह शामिल होंगे।

खालिस्तान के धमकी भरे पोस्टर पर जयशंकर की चेतावनी, आपसी रिश्ते के लिए अछूत नहीं...

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कनाडा को खालिस्तानी तत्वों को जगह देने के खिलाफ चेतावनी दी। जयशंकर का बयान यह सामने आने के बाद आया कि कनाडा में खालिस्तानी धमकी वाले पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम थे। जयशंकर ने कहा कि भारत ने खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों की तस्वीरों का मुद्दा कनाडाई अधिकारियों के समक्ष उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे साझेदार देशों से संपर्क किया है और उनसे खालिस्तानी समूहों को जगह नहीं देने का अनुरोध किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ेगा। विदेश मंत्री ने भाजपा के आउटरीच अधिव्यान के मौके पर संबदादाताओं से बात करते हुए कहा कि हमने कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने साझेदार देशों से, जहां कभी-कभी खालिस्तानी गतिविधियां होती हैं। खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध किया है।



शिंदे सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेताओं के खिलाफ चल रहे केस,

शिवेंद्र तिवारी

महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हुआ। अजित पवार सहित एनसीपी के नौ विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। अब इस गठबंधन को महायुक्ति नाम दिया है जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी (अजित गुट) शामिल हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये नेता ईडी-सीबीआई के मामलों की वजह से भाजपा के साथ आए हैं। एनडीए में शामिल एनसीपी के इन नेताओं में कई ऐसे हैं जो खुद या उनके परिजन के खिलाफ अलग-अलग मामले चल रहे हैं।

अजित पवार

अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ब्राह्मों में अनियमितताओं के आरोपों पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच का सामना कर रहे थे। इसके आधार पर, ईडी ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामला दर्ज किया। सितंबर 2020 में, ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसे किसी भी आपराधिक गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला और विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ईडी ने 2020 में ईओडब्ल्यू के रुख का विरोध किया था लेकिन विशेष अदालत ने उसके हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अगर ईओडब्ल्यू केस बंद हो जाता तो ईडी भी जांच जारी नहीं रख सकती। इससे पहले कि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला कर पाती, जून 2022 में राज्य में एनडीए की सरकार आ गई। इसके साथ, ईओडब्ल्यू ने भी अक्टूबर 2022 में अपना रुख बदल दिया और कहा कि वह अपनी क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखते हुए जांच जारी रखना चाहता है। फिलहाल, ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और राज्य की एजेंसी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है।

इस बीच, ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दायर किया। बैंक में और बैंक से ऋण लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजित की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में उल्लेख किया गया था, लेकिन अजित को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।

हसन मुश्रीफ सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फेक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की तलाशी का सामना कर रहे। मुंबई की विशेष अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में मुश्रीफ ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला एक प्रेरित साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामलों में शामिल करने का जगमूझकर प्रयास किया गया। मुश्रीफ का अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का



दरवाजा खटखटया। पिछले हफ्ते अदालत ने उनकी अंतरिम राहत 11 जुलाई तक बढ़ा दी।

छान भुजबल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2006 में तीन परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के आरोप में 2015 में मामला दर्ज किया गया

था। भुजबल तब राज्य के मंत्री थे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया और दो साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में एक विशेष अदालत ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। भुजबल के खिलाफ ईडी मामले के अलावा मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी द्वारा दायर एक मामला एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है।

सुनील तटकरे

महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में अदिति तटकरे शामिल हैं। सिंचाई घोटेले में अजित पवार के अलावा अदिति के पिता सुनील तटकरे की भी एसीबी जांच कर रही है। 2017 में एसीबी द्वारा दायर आरोपपत्र में, उसने तटकरे के नाम का उल्लेख किया था। हालांकि उस समय आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं आया। अधिकारियों ने कहा

था कि बाद में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। ईडी ने इसी मामले के सिलसिले में 2012 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू की थी।

प्रफुल्ल पटेल

ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006-07 में वर्ल्ड में सीजे हाउस बनाया था और इसकी दो मंजिलें 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची की पत्नी को हस्तांतरित कर दी गई थी। मिर्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ दायर मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पटेल को 2019-2021 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की चार मंजिलें कुर्क कर ली गईं। एनसीपी नेता ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में प्रफुल्ल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

